

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
193/2025

दायर दिनांक  
21.04.2025

निर्णय दिनांक  
07.05.2025

उनवान

1. श्री धनसिंह राजपूत आत्मज प्रतापसिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री भवंर सिंह आत्मज प्रतापसिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटूलाल पिता रूपा गुर्जर, नि. गुर्जर मौहल्ला, रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. उदयलाल पिता कालू गुर्जर, नि0 गुर्जर मौहल्ला, रीछडा तह0 व जिला भीलवाडा।
3. बालूलाल गुर्जर पिता जीवण गुर्जर, निवासी गुर्जर मौहल्ला, रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. बालूलाल गाडरी पिता हीरा लाल गाडरी, निवासी गुर्जर मौहल्ला, रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. उम्मेद सिंह पिता भवंर सिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नरेन्द्र सिंह पिता गणपत सिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. महेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शंकर सिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. शम्भु सिंह पिता नरवर सिंह राजपूत, निवासी रावला चौक रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. धन्नालाल पिता श्रीराम बैरवा, निवासी बैरवा मौहल्ला, रीछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
11. श्री प्रहलाद वैष्णव आत्मज शंकरलाल वैष्णव, निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कैलाश आगाल उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

## -: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रीछडा पोस्ट बडा महुआ (महुआ कला) तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 1185/2 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 362/1 रकबा 0.8346 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 363/1 रकबा 0.5437 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 369/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 395/2 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 590/1 0.3288 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 591/2 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.0591 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीछडा पोस्ट बडा महुआ (महुआ कला) तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 1185/2 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 362/1 रकबा 0.8346 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 363/1 रकबा 0.5437 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 369/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 395/2 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 590/1 0.3288 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 591/2 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.0591 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)  
तहसीलदार, भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा